BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PB AT NEW DELHI
IN
O.A. NO. 341 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Deepak Awasthi ...APPLICANT

VERSUS

State Of U P ...RESPONDENTS

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response of Kanpur Nagar Nigam, In compliance of order of Hon'ble Tribunal dated 4.12.2023	**02- 07**
2.	**ANNEXURE R4/1** A copy of order dated 4.12.2023 passed by Hon'ble Tribunal in OA 341/2023	**08-10**
3.	**ANNEXURE R/2** Copy of report dated 28.1.2024 received from NGO regarding garbage removal.	**11**
4.	**ANNEXURE R/3** Copy of letter of UP Jal Nigam dt 6.2.2024	**12-14**
5.	**ANNEXURE R/4** Photographs of Rani Ghat & R.C.C. drain work	**15**
6.	**ANNEXURE R/5** Photographs of Bari Ghat & R.C.C. drain work	**16**
7.	**ANNEXURE R/6** Photo graph of Tiwari Ghat	**17**
8.	**ANNEXURE R4/7** Photo graph of Rameshwar Ghat & R.C.C. drain work	**18**
9.	**ANNEXURE R4/8** Copy of GO dated 4.9.2020	**19-23**

Assistant Engineer
Kanpur Nagar Nigam
Mail : engineeringzone04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PB AT NEW DELHI
IN
O.A. NO. 341 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Deepak Awasthi ...APPLICANT

VERSUS

State Of U P ...RESPONDENTS

COMPREHENSIVE REPORT OF KANPUR NAGAR NIGAM TO THE JOINT INSPECTION REPORT DATED 10.8.2022 IN COMPLIANCE OF ORDER OF HON'BLE TRIBUNAL DATED 4.12.2023.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. The issue raised in a letter petition is in respect of illegal settlement of a Sarjupurba colony at downstream of Ranighat on the flood plain of River Ganga in Kanpur, Uttar Pradesh and discharge of garbage, polythene, sewage, etc. in the river Ganga in under consideration before this Hon'ble Tribunal in OA No 341/2022.

2. That Upon consideration of the matter, this Hon'ble Tribunal was pleased to direct vide order dated 17.5.2022 to obtain factual and action taken report from a Joint Committee comprising of representatives of Additional Chief Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh, State Unit of National Mission for Clean Ganga, State PCB and District Magistrate, Kanpur. State PCB was directed to be the Nodal agency for coordination and compliance.

3. That the joint inspection report based on inspection on 20.7.2022 was filed In compliance order dated 17.5.2022 by UPPCB by email dated 16.08.2022.

4. That upon hearing the matter on 28.8.2023, Hon'ble Tribunal was pleased to direct Kanpur Nagar Nigam, among others to file response to the report of Joint Committee dated 10.8.2023 filed on 16.8.2023.

5. That in compliance of the order of Hon'ble Tribunal dated 28.8.2023, response was filed by Kanpur Nagar Nigam on 13.10.2023. It is placed on record at running page 15- 39.

6. That upon hearing the matter on 4.12.2023, this Hon'ble Tribunal was pleased to allow Kanpur Nagar Nigam to file a Comprehensive Report beside impleading Commissioner Kanpur Nagar Nigam as Respondent No 6 in this matter. A copy of the order dated 4.12.2023 is enclosed herewith as **Annexure R/1.**

7. That in compliance of the order of Hon'ble Tribunal dated 4.12.2023, following report in respect of issues/observations pertaining to Kanpur Nagar Nigam in the joint committee report dated 10.8.2023 is submitted for kind consideration of Hon'ble Tribunal please.

8. (a) **General** ;

That the Area of Rani Ghat, Rameshwar Ghat, Tiwari Ghat and Bari Ghat etc fall on city side of the bund constructed from Ganga barrage to Rani Ghat Irrigation Deptt of U P Govt. On other side of barrage flows river Ganga. In about 30 m stretch near Rani Ghat the barrage is not constructed. In this area pumping station under operation of maintenance by UP Jal Nigam exists.

The concerned ward in which above drains flow has a total population of 22104 as per 2011census. Currently on average about 31 t solid waste/ garbage per month is being collected from this area through door to door by an NGO named Deekshant with help of three vehicles deputed in the area. Garbage dump of 4.5 cum capacity near Rameshwar Ghat and 1.1 cum capacity each has been kept near Rani Ghat and Bari Ghat for collection of garbage. Two number 3 cum capacity each vehicles and wheel burrows are also deputed by Health wing of Nagar Nigam for daily garbage collection from the area. Gargabe/ Solid waste collection has been

improved in the area from collection of about 17 t/month to about 31 t/ month during last year due to efforts made by the Nagar Nigam through the NGO Deekshant and intensive awareness drive by the Nagar Nigam. Report dated 28.1,2024 received by Nagar Nigam from the Deekhshant NGO is enclosed herewith as **Annexure R/2.**

(b) **Rani Ghat:**

Rani Ghat drain carrying about 1.8 mld sewage. Tapping of drain fully is proposed in I & D revised project submitted for sanction to NMCG in March 2023 through SMCG by UP Jal Nigam (Rural) after incorporating suggestions of NMCG. Bio remediation of drain is being carried out. Copy of letter received from UP Jal Nigam dated 6.2.2024 is enclosed as **Annexure R/3.**

The garbage from the area is now being regularly collected. Photo graph of Rani Ghat area showing ghat & R.C.C. drain work is enclosed as **Annexure R/4.**

Kanpur Nagar Nigam has no role in removal of encroachments from within / outside the flood plane area.

(c**) Bari Ghat**

The construction of about 90 m pucca drain of size o.6m x 0.75 m from Bari ghat to Rani Ghat pumping station sump well has been completed. Small drains in the area are cleaned to remove garbage dumped in to the open drains. About 500 g plastic waste is also being removed from these drains on daily basis.

The garbage from the area is now being regularly collected. Photo graph of Bari Ghat area showing ghat & R.C.C. drain work is enclosed as **Annexure R/5.**

Kanpur Nagar Nigam has no role in removal of encroachments from within / outside the flood plane area.

(d) **Tiwari Ghat**

Tiwari Ghat drain is connected to Rani Ghat pumping station. Bio remediation of the drain is being done. The drain found clogged during inspection has been got cleaned of garbage and regular cleaning of drain is also being done.

The garbage from the area is now being regularly collected.

Kanpur Nagar Nigam has no role in removal of encroachments from within / outside the flood plane area.

Photo graph of Tiwari Ghat area showing ghat is enclosed as **Annexure R/6.**

(e**)** **Rameshwar Ghat**

45 m long Rameshwar Ghat drain is connected to Permia drain. Parmiya drain carrying 6.8 mld discharged has been tapped in to cluster of STP at Jajmau by UP Jal Nigam under Namami Gange Project. Total STP cluster capacity at Jajmau is 205 mld. Weir has already been constructed with provision of sluice gate at Parmia Ghat. The sluice gate is operated as per requirement in wet and dry weather.

The bank of river ganga where garbage was found littered by joint committee has been cleaned. Garbage is being regularly removed from the banks of the river. The garbage from the area is now being regularly collected.

Photo graph of Rameshwar Ghat area showing ghat & R.C.C. drain work is enclosed as **Annexure R/7.**

Kanpur Nagar Nigam has no role in removal of encroachments from within / outside the flood plane area.

9. That vide GO issued by Secretary Irrigation Department, Govt of UP, dated 4.9.2020 latitude and longitude of area proposed to be declared as no development zone and regulatory zone in 16 districts of the state (Kanpur at S No 16) have been communicated to Urban Development Department, Revenue Department, Housing and Urban Planning Department and Engineer in Chief Irrigation and Water Resource Department. As per said GO the referred latitudes and longitudes are made available by Central Water Commission. A copy of said GO is enclosed as **Annexure R/8**.

10. That Kanpur Nagar Nigam has no role in removal of encroachments within flood zone. In other areas, Kanpur Development Authority is the agency to sanction building plans and also to take action against any unauthorised construction.

11. That Kanpur Nagar Nigam is making sincere efforts to keep the area clean by removing garbage on daily basis through departmental efforts and through the efforts of NGO.

Assistant Engineer
Kanpur Nagar Nigam
For Respondent No 6

DATED: 11.02.2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PB AT NEW DELHI
IN
O.A. NO. 341 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Deepak Awasthi ...APPLICANT

VERSUS

State Of U P ...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Kamlesh Kumar Patel S/O Ganesh Prasad Patel R/O Kukhudi, Dist Allahabad at present at Kanpur, do hereby solemnly affirm and declare as under: -

1. That I am working as Assistant Engineer in Kanpur Nagar Nigam and am fully competent to file this affidavit.

2. That I am fully conversant with case as derived from official record.

3. That I have read the accompanying Report/ Response and have understood the contents thereof. The facts stated there in are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there from.

4. That the Annexure are true copy of its original.

DEPONENT

VERIFICATION: Verified at Kanpur on this 11th day of Feb 2024 , I the above named deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

ANNEXURE R4/1

Item No.07 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 341/2022

Deepak Awasthi Applicant

Versus

State of U.P. Respondent

Date of hearing: 04.12.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Respondent: Mr. Daleep Dhyani, Adv. for UPPCB (Through VC)
Mr. I.K. Kapila, Adv. for Kanpur Nagar Nigam (Through VC)

ORDER

1. This original application is registered on the basis of a letter petition. An issue has been raised regarding illegal settlement in Sarjupurba colony at downstream of Ranighat on the flood plain of River Ganga in Kanpur, Uttar Pradesh. The grievance is that as a result of illegal construction and encroachment by settlement in that colony, garbage, polythene and sewage is being directly discharged in river Ganga. It is also the grievance that ancient Ghats of Ranighat, Barighat, Tiwarighat and Rameshwarghat are being damaged and river flow has been narrowed down due to the illegal encroachments.

2. The Tribunal by order dated 17.05.2022 had formed a joint committee comprising representatives of Additional Chief Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh, State Unit of National Mission for Clean Ganga, State PCB and District Magistrate, Kanpur and had call for a factual and action taken report.

3. The committee had filed the report on10.08.2022 and Tribunal had duly considered the said report in the proceedings dated 28.08.2023.

4. Thereafter, Kanpur Nagar Nigam has filed the response to the joint committee report. Perusal of the said response, reveals that much is desired in the direction of drainage, sewage treatment as also illegal encroachment.

5. A plea has been raised by the Counsel appearing for the Kanpur Nagar Nigam that the matter relating to the encroachment action needs to be taken by Kanpur Development Authority and Irrigation Department.

6. The report reveals that the flood plain zone of river Ganga in the area concerned has not been notified and full particulars relating to the drains flowing towards the aforesaid four ghats, their tapping and treatment of sewage from those drains have also not been disclosed.

7. The report does not reflect upon the extent of illegal encroachment which was the main grievance raised in this original application. In respect of Rani ghat, it is stated that the construction of drain of size 0.6m x 0.75m from Bari ghat to Rani ghat pumping station was in progress and targeted to be completed by 30.11.2023. Similarly, in respect of Rameshwar ghat, it is stated that construction of 45.00 m drain at Rameshwar ghat is under progress and will be completed before 30.11.2023. Completion date is over but Counsel appearing for Nagar Nigam does not have any instructions if the work has been completed as per schedule.

8. In the aforesaid background, the Counsel appearing for Kanpur Nagar Nigam has prayed for four weeks time to file a comprehensive report with all the relevant particulars.

9. At this stage, we deem it proper to implead the following as respondent in the matter:-

i. Regional Officer, MoEF &CC, Lucknow;
ii. Director, National Mission for Clean Ganga;
iii. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board;
iv. Member Secretary, Central Pollution Control Board;
v. Vice-Chairman, Kanpur Development Authority;
vi. Commissioner, Municipal Corporation, Kanpur;
vii. ACS/PS, Irrigation Department State of UP;
viii. ACS/PS, Urban Development Department, State of UP;
ix. District Magistrate, Kanpur;

10. Let notice be issued to the above respondents for taking appropriate action in respect of the grievance raised in the original application and filing the action taken report before the Tribunal.

11. Let the action taken report be filed on or before the next date of hearing.

12. List the matter on 13.02.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

December 04, 2023
Original Application No. 341/2022
JG

ANNEXURE R/2

DIKSHANK SANSTHA

ABHAV MITAO DESH BADHAO

Web : www.dikshank.org
E-mail : dikshankango@gmail.com
Twitter : @dikshankngo
Facebook : facebook.com/dikshankngo
Instagram : dikshank_ngo
Mob. No. : 9151043921, 9151043914

Ref. No 409-A/D2D/23-24 Date 28-Jan-2024

सेवा में,

पर्यावरण अभियंता,
नगर निगम कानपुर

विषय:- आप द्वारा मौखिक निर्देश के क्रम में जनवरी माह का अपशिष्ट संग्रहण का ब्यौरा मांगे जाने के संदर्भ में

महोदय,

आप द्वारा मौखिक निर्देश के क्रम में जनवरी माह अपशिष्ट संग्रहण एवं रानी घाट से रामेश्वर घाट की तरफ डाले जा रहे कूड़े के रोकथाम हेतु

1. घरों व व्यावसायिक स्थान से दीक्षांक संस्था द्वारा डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य अगस्त-2022 मे निरंतर किया जा रहा है
2. डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य रानी घाट, बारी घाट, तिवारी घाट, रामेश्वर घाट से लगभग 2600 घरों में से 1890 घरों से अपशिष्ट हमारी संस्था द्वारा लिया जा रहा है
3. डोर टू डोर अपशिष्ट कलेक्शन का कार्य दिन में एक बार वह सप्ताह में छः बार किया जा रहा है
4. विगत 03 माह में उक्त क्षेत्र से लगभग 92 टन अपशिष्ट संग्रहण डोर टू डोर के माध्यम से किया जा रहा है
5. संस्था द्वारा एकत्रित किए गए अपशिष्ट को नजदीक स्थित ट्रांसफर स्टेशन भैरो घाट पर निम्तारण हेतु भेज दिया जाता है

महोदय आपको विशेष रूप से यह भी अवगत कराना है कि संस्था द्वारा नियमित रूप से डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, संस्था द्वारा उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा रही है। कई आवासीय एवं व्यावसायिक स्थानों द्वारा यूजर चार्ज के मासिक शुल्क से बचने हेतु अपशिष्ट गाड़ियों में नहीं दिया जाता है, ऐसे आवासीय एवं व्यावसायिक स्थान के नाम चिन्हित करके कानपुर नगर निगम के अधिकारियों, दीक्षांक संस्था एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पब्लिक को लगातार जागरूक किया जा रहा है। ऐसे स्थान जहां पर गाड़ियों द्वारा अपशिष्ट का संग्रहण नहीं हो पता है वहां पर व्हीलबैरो एवं रिक्शा ट्राली के माध्यम से अपशिष्ट का उठान किया जा रहा है।

स्थान	जेनरेट होने वाले अपशिष्ट की मात्रा	अपशिष्ट उठान की मात्रा
रानी घाट	36 टन	28 टन
बारी घाट	28.5 टन	23 टन
तिवारी घाट	25.5 टन	24 टन
रामेश्वर घाट	23 टन	17 टन

धन्यवाद

सचिव
दीक्षांक संस्था
(Stamp: DIKSHANK SANSTHA KANPUR)

प्रतिलिपी-
नगर आयुक्त महोदय की सादर अवलोकनार्थ।
मुख्य अभियन्ता महोदय को सादर सूचनार्थ।

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE R/3

OFFICE OF THE PROJECT MANAGER,
कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,
GANGA POLLUTION CONTROL UNIT, U.P. JAL NIGAM (Gramin), KANPUR
गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर
Mob- 9473942739
Email:gpcu.pm1upjn@gmail.com

पत्रांकः 111 / W-24 /4 दिनांकः 06/02/2024

सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता जोन–4,
नगर निगम, कानपुर।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–341/2022 दीपक अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक डी/533/अ0अ0–4/2023–24 दिनांक 06.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–341/2022 दीपक अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में इस कार्यालय से संबंधित बिन्दुओं के संबंधित भाग पर आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है–

Point No. 3 - Ranighat drain is untapped. Discharge of this drain is 2.39 MLD. Currently DPR for tapping of said drain is under NMCG, New Delhi.

Point No. 6- Total capacity of STP at Jajmau complex is 205 MLD. Test results of Jajmau STPs under jurisdicition of this office (130 and 43 MLD STP) are enclosed. The weir wall has been already constructed with provision of sulice gate at Parmiya drain, which is operated as per requirement in dry and wet weather flow. Discharge of Rameshwar ghat drain is 2.94 MLD. This drain is untapped and proposal of this drain has also been submitted for which DPR is under NMCG, New Delhi.

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जी0के0 चौधरी)
परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।

परियोजना प्रबन्धक

I:\Letter Ganga\Letter_Ganga_Office_T-24_GRamin.docx- 115 -

Scanned with OKEN Scanner

130 MLD STP, JAJMAU KANPUR
MONTHLY LAB ANALYSIS REPORT

Month- January 2024

Date	INLET FLOW in MLD	Plant Run in HRS	PH (7-8) ppm	COD (600mg/l) ppm	BOD (300mg/l) ppm	TSS (600mg/l) ppm	PH (7-8) ppm	COD (<100mg/l) ppm	BOD (<30mg/l) ppm	TSS (<50mg/l) ppm	POWER SHUTDOWN HRS	POWER SHUTDOWN MINS	REMARK
1-Jan-24	131	24	7.1	646	215	450	7.4	76	24	30			
2-Jan-24	116	24	7.1	616	220	460	7.4	80	22	35			
3-Jan-24	108	24	7.2	620	200	468	7.4	84	26	41			
4-Jan-24	95	24	7.2	605	210	485	7.5	80	24	35			
5-Jan-24	119	24	7.2	576	200	443	7.4	81	22	35			
6-Jan-24	108	24	7.3	592	205	453	7.5	88	25	36			
7-Jan-24	104	24	7.2	608	210	470	7.4	72	21	33			
8-Jan-24	124	24	7.2	584	200	447	7.5	64	20	30			
9-Jan-24	122	24	7.2	624	215	460	7.4	88	26	34			
10-Jan-24	119	24	7.2	600	205	455	7.5	80	23	32			
11-Jan-24	120	24	7.2	590	200	453	7.4	70	27	31			
12-Jan-24	131	24	7.1	632	220	480	7.5	88	25	35			
13-Jan-24	137	24	7.2	608	210	467	7.5	80	27	32			
14-Jan-24	132	24	7.2	584	215	453	7.5	64	24	29			
15-Jan-24	133	24	7.3	592	205	445	7.5	96	21	37			
16-Jan-24	127	24	7.2	616	220	470	7.5	80	26	34			
17-Jan-24	136	24	7.2	600	210	463	7.5	72	28	30			
18-Jan-24	131	24	7.2	576	195	450	7.4	68	24	30			
19-Jan-24	172	24	7.2	620	210	485	7.5	104	30	40			
20-Jan-24	156	24	7.2	616	205	477	7.5	88	27	35			
21-Jan-24	124	24	7.2	632	220	480	7.4	72	23	32			
22-Jan-24	89	24	7.1	600	205	463	7.4	96	26	36			
23-Jan-24	99	24	7.2	584	200	445	7.4	96	28	38			
24-Jan-24	126	24	7.2	560	190	440	7.5	80	25	35			
25-Jan-24	121	24	7.3	544	195	433	7.5	88	27	37			
26-Jan-24	132	24	7.2	568	220	453	7.5	72	32	34			
27-Jan-24	109	24	7.2	560	225	470	7.5	96	29	35			
28-Jan-24	107	24	7.2	576	215	483	7.4	80	27	33			
29-Jan-24	120	24	7.2	608	220	500	7.5	72	26	36			
30-Jan-24	104	24	7.2	640	225	510	7.5	84	28	39			
31-Jan-24	128	24	7.2	645	210	515	7.5	96	30	42			
TOTAL	3779.8	744	223	18622	6495	14426	231	2535	793	1071			
AVG	121.93	24.00	7.19	600.71	209.52	465.35	7.46	81.77	25.58	34.55			

Shrikrishna Verma

Plant In charge KRMPL

Scanned with OKEN Scanner

43 MLD SEWAGE TREATMENT PLANT, JAJMAU,KANPUR
MONTHLY FLOW & LAB REPORT

Jan-2024

Date	INLET FLOW in MLD	Plant Run in HRS	RAW SEWAGE Temp	RAW SEWAGE TDS	RAW SEWAGE PH	RAW SEWAGE COD (600)	RAW SEWAGE BOD (300)	RAW SEWAGE TSS (600)	FINAL OUTLET Temp	FINAL OUTLET TDS	FINAL OUTLET PH (6.5-8.5)	FINAL OUTLET COD (< 100)	FINAL OUTLET BOD (< 30)	FINAL OUTLET TSS (< 50)	Sludge Concentration	POWER SHUTDOWN		REMARK
			°c	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	°c	mg/l		mg/l	mg/l	ppm	%	HRS	Min	
01 Jan 2024	41.40	24	18.30	1012	7.2	640	215	480	18.1	1010	7.51	80	25	42				
02 Jan 2024	42.30	24	18.90	1030	7.1	662	220	446	18.7	1015	7.5	96	26	46				
03 Jan 2024	47.70	24	18.60	1016	7.1	624	200	460	18.4	1010	7.5	88	24	40				
04 Jan 2024	45.00	24	18.40	1040	7.2	600	210	455	18.2	1020	7.5	100	22	30				
05 Jan 2024	40.50	24	19.30	1060	7.1	576	200	443	19.1	1040	7.53	96	23	42				
06 Jan 2024	37.26	24	19.20	1010	7.2	592	205	453	19	1030	7.43	104	30	45				
07 Jan 2024	45.00	24	19.50	1050	7.1	608	210	470	19.2	1040	7.5	88	28	42				
08 Jan 2024	44.10	24	18.60	1040	7.1	584	200	447	18.4	1020	7.56	104	30	44	4			
09 Jan 2024	47.70	24	18.20	1120	7.2	624	215	460	18	1080	7.48	100	29	48				
10 Jan 2024	45.00	24	18.50	1050	7.1	600	205	455	18.1	1010	7.5	88	30	47				
11 Jan 2024	41.80	24	19.30	1030	7.2	590	200	453	19.1	1012	7.61	92	25	48				
12 Jan 2024	41.70	24	19.00	1020	7.2	632	220	480	18.7	980	7.48	88	24	40				
13 Jan 2024	44.10	24	18.80	1040	7.1	608	210	467	18.7	1010	7.45	96	23	48				
14 Jan 2024	38.70	24	18.60	1011	7.1	584	215	453	18.5	1000	7.51	100	25	47				
15 Jan 2024	45.00	24	19.50	1030	7.2	592	205	445	19.4	990	7.49	92	28	48				
16 Jan 2024	45.90	24	18.80	1002	7.1	616	220	470	18.7	980	7.51	104	27	40				
17 Jan 2024	45.00	24	18.70	1050	7.2	600	210	463	18.6	1030	7.53	100	25	40				
18 Jan 2024	28.08	24	18.60	1030	7.1	576	195	450	18.4	1010	7.49	104	27	45				
19 Jan 2024	Shutdown																	
20 Jan 2024	14.40	24	18.90	1049	7.1	616	205	477	18.8	1020	7.51	88	28	42				
21 Jan 2024	48.60	24	19.20	1040	7.2	632	220	480	19	1020	7.6	80	30	44				
22 Jan 2024	42.41	24	19.10	1030	7.15	600	205	463	18.9	1010	7.48	96	29	48				
23 Jan 2024	35.21	24	18.70	1025	7.2	584	200	445	18.6	1000	7.51	92	30	47				
24 Jan 2024	41.67	24	19.30	1011	7.2	560	190	440	19.1	990	7.53	88	25	48				
25 Jan 2024	47.51	24	19.10	1040	7.1	544	195	433	19	1010	7.51	96	24	40				
26 Jan 2024	43.06	24	18.90	1050	7.2	568	220	453	18.7	1025	7.5	88	23	48				
27 Jan 2024	46.32	24	19.20	1032	7.1	560	200	470	19	1010	7.48	88	25	47				
28 Jan 2024	48.60	24	19.40	1020	7.2	576	215	483	19.1	980	7.43	80	28	48				
29 Jan 2024	44.01	24	19.10	1040	7.1	608	220	500	19	1010	7.5	96	27	40				
30 Jan 2024	43.20	24	19.50	1030	7.1	640	225	510	19.1	1010	7.53	104	25	48				
31 Jan 2024	45.00	24	19.80	1016	7.2	645	210	515	19.6	990	7.51	88	27	47				
TOTAL	1266.23	24.00	18.97	1,034.13	7.15	601.37	208.67	463.97	18.77	1,012.07	7.50	93.47	26.40	44.30				
AVG	42.21																	

Kuldeep Singh

Plant Incharge KRMPL

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE R/4

RANIGHAT PHOTO & R.C.C. DRAIN WORK

ANNEXURE R/5

BARIGHAT PHOTO & R.C.C. DRAIN WORK

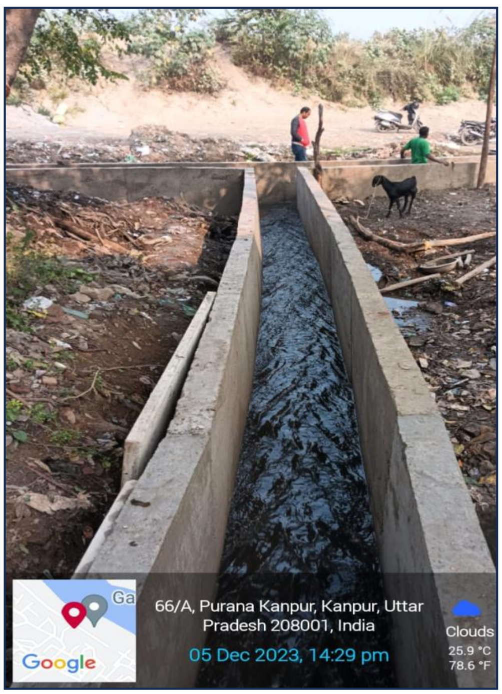

ANNEXURE R/6

TIWARIGHAT PHOTO

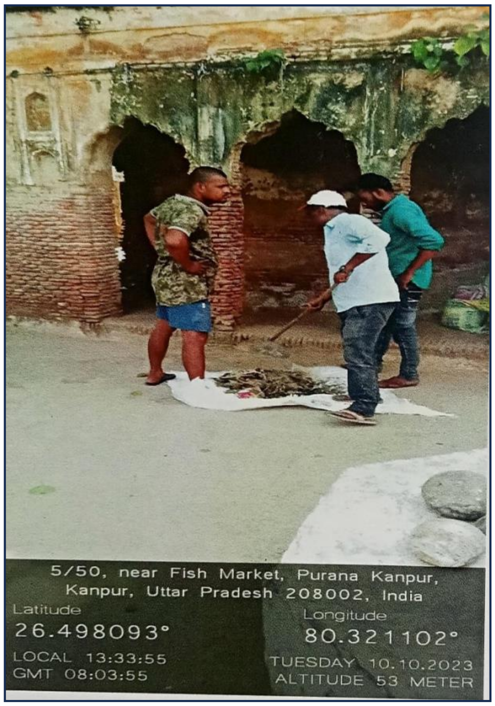

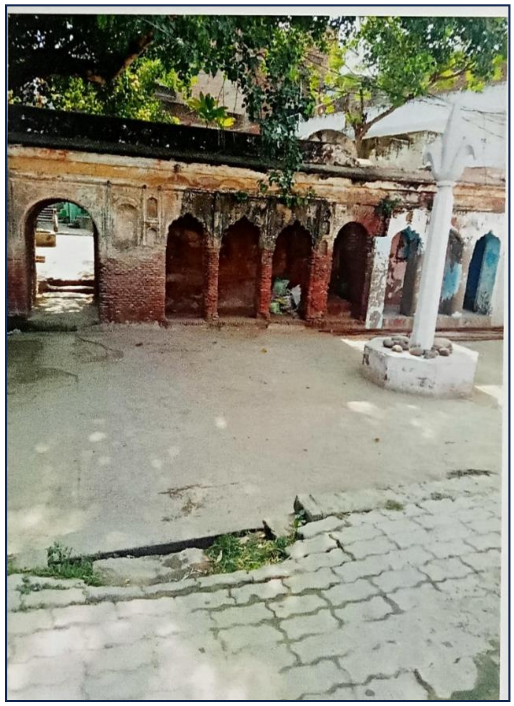

Annexure R4/7

RAMESHWAR GHAT PHOTO & R.C.C. DRAIN WORK

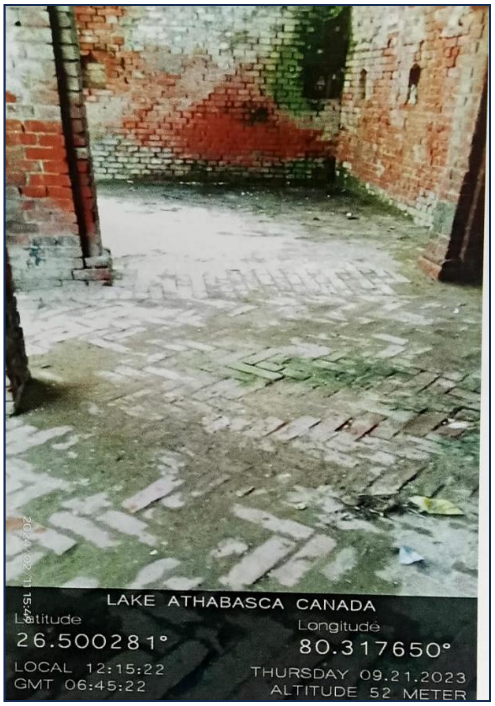

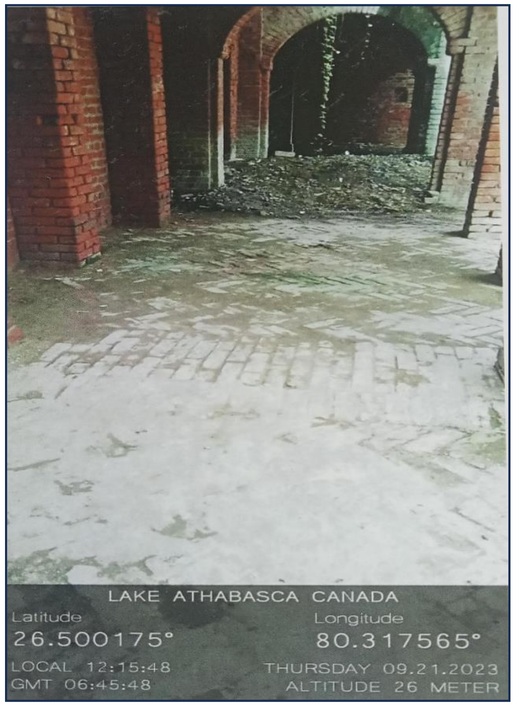

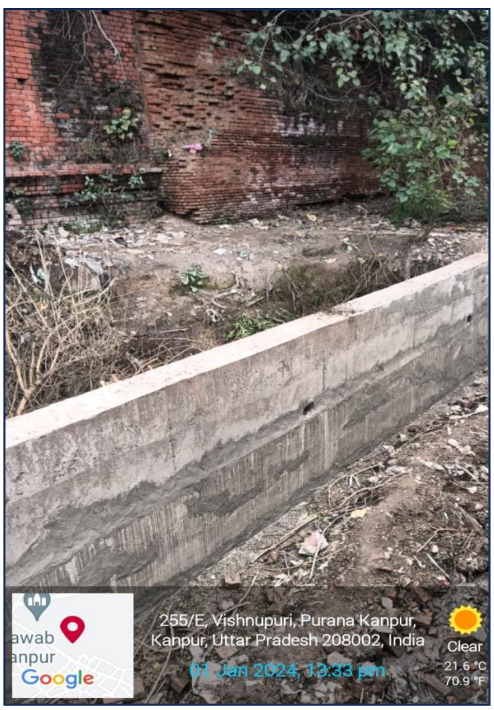

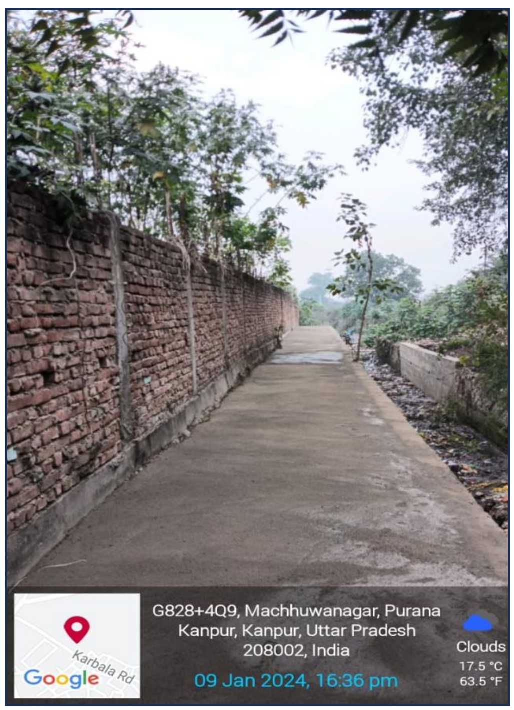

Annexure R4/8

महत्वपूर्ण

संख्या-164 /2020 /2031/20-27-सिं0-4-07(एन0जी0टी0) /16टी0सी0

प्रेषक,

अनिल गर्ग,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0, शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2020

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी0 तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन" अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-232/प्र0अ0/मु0अ0ज0सं0, दिनांक 06 अगस्त, 2020 द्वारा, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के 16 जनपदों को नो डेवलपमेन्ट जोन/रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड/लैटिट्यूड एवं नो डेवलपमेन्ट जोन/रेग्यूलेटरी जोन अधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्रांक-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी0 तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन" अधिसूचित किया गया हैं।

(2)

गंगा नदी के किनारों में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमण को रोकने में सम्बन्धित विभागों का प्रभावी नियंत्रण न होने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में निम्न निर्देश दिये गये हैः-

"Till the demarcation of the flood plains and identification of permissible and non-permissible activities by the state government of this judgment, we direct that 100 meters from the edge of the river would be treated as no development/construction zone in segment-B of Phase-I (Haridwar to Unnao, Kanpur)"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त आदेश में सेगमेंट बी फेज-1 (हरिद्वार से उन्नाव, कानपुर) तक गंगा नदी के किनारों से 100 मी0 तक नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाये जाने हेतु निर्देशित करते हुए सिंचाई विभाग, उ0प्र0 एवं नगर विकास विभाग को उपरोक्त कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

4. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कांशीराम नगर, फरूर्खाबाद, कन्नौज, सम्भल, बदायूँ, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव एवं कानपुर में गंगा नदी के दोनों किनारों पर नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड उपलब्ध कराये गये हैं।

5. प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड के आधार पर नो डेवलपमेंट एवं रेग्यूलेटरी जोन अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित किया जाता हैः-

क्रमांक	जनपद	लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड
1.	बिजनौर	संलग्नक-1 (क) एवं 1 (ख)
2.	अमरोहा	संलग्नक-2 (क) एवं 2 (ख)
3.	मुजफ्फरनगर	संलग्नक-3 (क) एवं 3 (ख)
4.	मेरठ	संलग्नक-4 (क) एवं 4 (ख)
5.	हापुड़	संलग्नक-5 (क) एवं 5 (ख)
6.	बुलंदशहर	संलग्नक-6 (क) एवं 6 (ख)
7.	अलीगढ़	संलग्नक-7 (क) एवं 7 (ख)
8.	काशीराम नगर	संलग्नक-8 (क) एवं 8 (ख)
9.	फरूर्खाबाद	संलग्नक-9 (क) एवं 9 (ख)
10.	कन्नौज	संलग्नक-10 (क) एवं 10 (ख)
11.	सम्भल	संलग्नक-11 (क) एवं 11 (ख)
12.	बदायूँ	संलग्नक-12 (क) एवं 12 (ख)
13.	शाहजहांपुर	संलग्नक-13 (क) एवं 13 (ख)
14.	हरदोई	संलग्नक-14 (क) एवं 14 (ख)
15.	उन्नाव	संलग्नक-15 (क) एवं 15 (ख)
16.	कानपुर	संलग्नक-16 (क) एवं 16 (ख)

उपर्युक्त (क) में जनपद के नो डेवलपमेंट जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड दर्शाये गये हैं तथा (ख) में जनपद के रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड दर्शाये गये हैं।

6. जनपद के सिंचाई विभाग उ0प्र0 के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) एवं जिन जनपदों में अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) पदस्थापित नहीं हैं, वहां पर अधिशासी अभियन्ता (नोडल) के द्वारा नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्यूलेटरी जोन नक्शे पर एवं कार्यस्थल पर चिन्हित कराया जायेगा।

(3)

7. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर नो डेवलपमेंटजोन में निम्न प्रकार की गतिविधियां ही अनुमन्य होंगीः-

(i) अस्थाई निर्माण- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व अनुमति के उपरान्त दैविक/प्राकृतिक आपदा या धार्मिक/सांस्कृतिक आयोजनों हेतु अस्थाई निर्माण कार्य।

(ii) एम0ओ0इ0एफ0 एण्ड सी0सी0 की गाइड लाइन्स के तहत नियंत्रित बालू/पत्थर/बजरी/ रिवर बेड मैटेरियल का खनन।

(iii) जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के उपरान्त संरक्षित स्मारक, मन्दिर, बोटिंग जेटीज, पार्क, घाट एवं शमशानघाट का अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार।

(iv) जैविक खेती।

(v) स्थानीय पेड़ों/पौधों का व्यवसायिक गतिविधियों हेतु पौधारोपण।

(vi) बाढ़ कटाव एवं नियंत्रण, रिवर वाटर वे की डिसिल्टिंग।

(vii) क्षतिग्रस्त बंधों की मरम्मत एवं पुनरोद्धार/अनुरक्षण।

(viii) नदी के किनारे सांस्कृतिक/धार्मिक व अन्य सामान्य प्रयोजनों हेतु कच्चे रास्तों का निर्माण।

(ix) जल परिवहन, जल क्रीड़ा एवं नैविगेशन से सम्बन्धित गतिविधियां।

(x) नदी जल के भण्डारण, डायवर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।

(xi) सभी मौजूदा स्थायी/अस्थायी आवासीय व्यवसायिक/औद्योगिक व अन्य प्रयोजनों हेतु पूर्व निर्मित संरचनायें, जिनको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त नदी के प्रवाह में अवरोध एवं प्रदूषण के प्राविधानों पैरा-6(3) जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार के अधिसूचना सं0-एस0ओ0-3187(इ), दिनांक 7 अक्टूबर 2016 (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर अनुमन्य संरचनायें।

उक्त जोन को फ्लड प्लेन जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

8. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर रेग्युलेटरी जोन में निम्न गतिविधियां अनुमन्य होंगी।

(i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित रेड श्रेणी के उद्योग प्रतिबन्धित रहेंगे।

(ii) उत्तर प्रदेश आवास विकास/शहरी विकास/नगर पालिका/ग्रामीण विकास परिषद द्वारा अनुमन्य आवासीय/व्यवसायिक/संस्थागत/स्कूल/उपचार केन्द्र का निर्माण, जिनका प्लिंथ लेविल फ्लड लाइन के ऊपर हो एवं छत अथवा प्रथम तल का लेविल 100 वर्ष के बाढ़ के लेविल से ऊपर हो तथा छत अथवा प्रथम तल पर जाने हेतु सीढ़ियों का रास्ता हो, का निर्माण कार्य।

(iii) नदी जल के भण्डारण, डायवर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।

(iv) प्रदूषण मुक्त घरेलू उद्योग।

(v) पुलों, सड़कों व अन्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण।

(vi) जल मार्ग सुविधा के कार्य।

(vii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमन्य ग्रीन एवं ओरेंज श्रेणी के उद्योग।

(viii) जल क्रीड़ा एवं जल परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियां।

(ix) स्टोन क्रसिंग प्लांट।

उक्त जोन को रेग्यूलेटरी जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में चल रही गतिविधियों/नई गतिविधियों या अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से शासनादेशों में निहित प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित नगर पालिका/नगर विकास विभाग/नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

(4)

10. जिलाधिकारी स्तर पर नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन की निगरानी के लिए प्रत्येक माह बैठक आहूत की जायेगी। विभागाध्यक्ष स्तर पर भी प्रत्येक माह इस सम्बन्ध में बैठक आहूत कर उक्त बिन्दुओं पर चर्चा/परिचर्चा करते हुए सुसंगत आख्या शासन को उपलब्ध करायेगे तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने/हटवाने के लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

11. आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट-1973 तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट-1976 के अन्तर्गत नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा, और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

12. ऐसे क्षेत्र जो बिन्दु सं0-(6), (7) एवं (10) से अच्छादित नहीं हैं, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से बिन्दु सं0-08 में उल्लिखित एजेंसियों द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी साथ ही सी0आर0पी0सी0 की धाराओं में भी समानान्तर कार्यवाही की जाये।

13. जिलाधिकारी द्वारा यू0पी0 फ्लड इमरजेंसी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट 1991 का प्रभावी प्रयोग किया जाये।

14. सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा नदियों के नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अवैध निर्माणकर्ताओं को सचेत किया जाये कि वह अपने अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकर्ताओं से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाये। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाये तो उपरोक्त प्रस्तर (10) तथा (11) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।

15. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

16. सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

17. नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

18. अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्ता को राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधायें उपलब्ध न कराई जायें।

19. प्रकरण में विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के दिनांक 06.08.2020 के उपरोक्त प्रस्तावानुसार मा0 एन0जी0 टी0 के आदेशों के अनुपालन में उ0प्र0 की सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से अंकित लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड तक नो डेवलपमेन्ट/नो कन्स्ट्रक्शन जोन अधिसूचित किये जाने की अधिसूचना निर्गत करते हुए अधिसूचित जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण/अतिक्रमण को रोकने हेतु उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा यथापेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

20. उक्त शासनादेश पूर्व में सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 द्वारा शासनादेश संख्या-1149/18-27-सिं0-3-52एन/18, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 को अतिक्रमित करते हुए तद्नुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्गत किया जा रहा है।

21. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अनिल गर्ग
सचिव।

(5)

संख्या-164/2020/2031(1)/20-27-सिं0-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-9 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।